तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 3434 / 2005 / नागौर** **भंवरसिह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान आदि बनाम जोगसिंह आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री नत्थू राम, सदस्य

उपस्थिति :–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

दिनांक : 16 जुलाई, 2019

निर्णय

1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 31–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद, इस्तकरार हक एवं बंटवाडा हेतु विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 के पिता भैरूसिंह के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा खींवसर की सरहद में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर–681, 683, 685, 687, 688, 689, 692, 1112, 1114, 1115, 1118, 1121, 686, 684, 1113, 1116, 1119 एवं 1120 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता भैरूसिंह की सह–खातेदारी की आराजीयात है जिसका पक्षकारान के मध्य बंटवाडा बहुत वर्षो पूर्व हो चुका है जिसमें आराजी खसरा नम्बर–692, 689,1114, 1112, 681 एवं 687 पूरा रकबा एवं खसरा नम्बर–1118 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में से 2 बिस्वा में से 2 बीघा 1 बिस्वा दिखणादा हिस्सा आराजी खसरा नम्बर–1112 के चिपते हुये एवं आराजी खसरा नम्बर–1113 व 1116 में से 1/2 हिस्सा दिखणादा तरफ का जो कि आराजी खसरा नम्बर–1114 के पास में है तथा खसरा नम्बर–686 में 1/2 हिस्सा दिखणादा वादीगण के हक व हिस्से में आया तथा शेष खैताय प्रतिवादी भैरूसिंह को प्राप्त है। दोनों पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर लगातार काबिज काश्त है। हाल ही में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 3434 / 2005 / नागौर</u>** **भंवरसिह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान आदि बनाम जोगसिंह आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी भैरूसिंह ने स्वयं के बंट में प्राप्त हुई भूमि में से काफी भूमि बेच दी है और अब वादीगण की भूमि पर उसकी नजर है। वादीगण ने इसी प्रकार अन्य कथनों के साथ बंटवारे व खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी–भैरूसिंह के विरूद्ध दिनांक 5–4–1985 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7–11–1985 द्वारा वाद वादीगण–प्रार्थीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 ने विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7–11–1985 एवं वाद में की गयी एक तरफा कार्यवाही को अपास्त करवाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 एवं आदेश–9 नियम–7 सीपीसी के तहत दिनांक 20–7–1992 को प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 31–5–2005 द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण के पक्ष में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7–11–1985 को निरस्त कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 31–5–2005 से असुंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी भैरूसिंह दिनांक 21–2–1985 को तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुये थे तथा वे दावे से संतुष्ट होने के कारण आगे की पेशीयों पर हाजिर नहीं हुये जिससे विचारण न्यायालय ने दिनांक 5–4–1985 को एकपक्षीय कार्यवाही की है। तत्पश्चात साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है। अप्रार्थीगण जोगसिंह आदि के पिता भैरूसिंह ने अपने जीवनकाल में इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि वे इससे संतुष्ट थे परन्तु निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7–11–1985 को निरस्त करवाने हेतु सात वर्ष बाद दिनांक 20–7–1992 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध स्वीकार किया है। इन्होंने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 3434 / 2005 / नागौर</u>** **भंवरसिह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान आदि बनाम जोगसिंह आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2005 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। प्रतिवादी भैरूसिंह को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जिससे यह मानना कि प्रतिवादी भैरूसिंह न्यायालय में उपस्थित हुआ है, विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि जब नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ तो जानकारी के अभाव में कोई पक्ष न्यायालय में कैसे उपस्थित हो सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तामीलशुदा नोटिस नहीं है। इन्होंने निगरानी खारिज करने हेतु अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2007(1) (S.C.) Page-125, RBJ 1999(1) Page-115, RRT 2010(1) Page&216, RBJ 2007 Page-549, RBJ 2012 Page-649, RBJ 2011 Page- 459, RRT 2011(II) (H.C.) Page-865, RRT 2008(2) Page- 1182, DNJ 2007(1) (Raj.) Page-220 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। 6– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार से है :– 7– विचाराधीन प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया है। यह वाद दिनांक 1–1–1985 को प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 19–1–1985 को दर्ज रजिस्टर्ड किया गया है जिसमें वादीगण को सम्मन जारी होने के आदेश दिये गये हैं। पत्रावली में तामीलशुदा नोटिस की कोई प्रति रिकार्ड पर नहीं है। दिनांक 21–2–1985 को आदेशिका में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी नम्बर–1 उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर–1 भैरूसिंह की अंगूठा निशानी लगवाई हुई है परन्तु प्रतिवादी नम्बर–1 की पहचान अंकित नहीं है। दिनांक 5–4–1985 को प्रतिवादी नम्बर–1 भैरूसिंह के उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर–1 को नोटिस तामील नहीं हुआ है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21–2–1985 को प्रतिवादी नम्बर–1 की अंगूठा निशानी लेकर उपस्थित होने का कथन किया है लेकिन ना तो भैरूसिंह की किसी ने पहचान की है और ना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 3434 / 2005 / नागौर</u>** **भंवरसिह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान आदि बनाम जोगसिंह आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही नोटिस तामीलशुदा पत्रावली उपलब्ध है जिससे यह कार्यवाही विधिवत नहीं मानी जा सकती तथा इस आधार पर प्रतिवादी भैरूसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भैरूसिंह के विधिक वारिसान के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय डिक्री व निर्णय निरस्त किया है, जो विधिसम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। 8– उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(नत्थू राम)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 3434 / 2005 / नागौर** **भंवरसिह (मृतक) जरिये विधिक वारिसान आदि बनाम जोगसिंह आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए